न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   / 2016 / निगरानी   निग-958-III-16

1. कप्तान सिंह
2. बालराम
3. मलखान सिंह पुत्रगण स्व. श्री लालाराम निवासी– ग्राम नंदपुरा, तहसील, नरवर, जिला शिवपुरी म.प्र. ....आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी
2. अवधेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी– ग्राम नंदपुरा, तहसील, नरवर, जिला शिवपुरी म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.01.2016 पारित न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 157 / 2014–15 / अ–12

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, ग्रम नंदपुरा में स्थित आबादी सर्वे 230 रकवा 3.37 हैक्ट. है जिससे लगा हुआ आवेदकगणों के स्व. बाबा रतनलाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूमि सर्वे क्रमांक 231 रकवा 0.130 हैक्ट. स्थित है एवं सर्वे नम्बर 231 से लगा हुआ अनावेदक क्रमांक 2 अवधेश कुमार का भूमि सर्वे नम्बर 232 स्थित है।
2. यहकि, आवेदकगणों का मकान स्व. बाबा रतनलाल के समय से 80 वर्ष पूर्व से ही बना हुआ है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा भी पंचनामा दिया गया है जिस पर आवेदकगण 80 वर्षों से निवास करते चले आ रहे है।
3. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा अपने भू–भाग का सीमांकन नियमों का पालन ना करते हुये मेड़ियों एवं आवेदकगणों को कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया विधि नियमों के विपरीत जाकर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

   अवलोकन हो 1998–आर.एन.–106(एच.–सी.)
4. यहकि, कि सीमांकन प्रकिृया में विधिवत सीमांकन करते समय अपने भू–भागे लगे सभी मेड़ियों को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 958–तीन/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५– ९ –16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 शासन के पैनल अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्र0 2 एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । प्रकरण ग्राहयता बिन्दु पर श्रवण किये गये। 2/ आवेदक के द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी के प्र0 क्र0 157/2014–15/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 14.01.2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक	

के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार ने दिनांक 14.01.2016 को सीमांकन किया जिस पर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीता शर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया

गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

'' भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है

– हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,
4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,
5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,
6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,
7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,
8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति / आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

4/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि दिनांक

14.01.2016 को सीमांकन दल द्वारा सीमांकन करने के उपरांत बिना किसी को सूचना दिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर सीमांकन कराया जो कि विधि प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत है । राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान सभी सरहदी कास्तकारों को पृथक से सूचना नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः सीमांकन आदेश दिनांक 14–01–2016 निरस्त किया जाकर सीमावर्ती कृषकों को पूर्व सूचना देने के उपरांत नियमों के परिपालन में विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार नरवर को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य